

प्रारूप - एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्बासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा फारदशिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क. / ५३५२ / क. / भू-अर्जन / 202208060400023 अ ८२ / 2022

कोरबा, दिनांक

वीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि के अर्जन लोक प्रयोजन हेतु साम्य सरकार द्वारा आमंत्रित है।
अधीत :-

जिला	तहसील	धाम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कोरबा	परसाखोला	1.134 हे.	परसाखोला व्यपवर्तन योजना के बाघ एवं नहर निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अन्यथा हेतु जन सुनवाई दिनांक २३/०५/२०२५ को समय 12:०० बजे से स्थान याम परसाखोला नियत की गई है।
प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : परसाखोला व्यपवर्तन योजना के बांध एवं नहर निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 17
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हाँ
7. क्या सभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हाँ
8. परियोजना की कुल लागत : 299.81 लाख
9. परियोजना से होने वाले लाभ : आवागमन की सुविधा
10. प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं।
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुदिपानीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा

(अर्जन वस्त)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग